



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-18.07.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मंडुवाडीह में सड़क दुर्घटना से सम्बन्धित मुकदमे के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 2000/- रु0 अर्थदण्ड।

थाना मंडुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-677/2017 धारा 279, 337, 338 भा0द0वि0 सम्बन्धित अभियुक्त अभिलाष गुप्ता पुत्र राजकुमार साव निवासी शिवदासपुर थाना मंडुवाडीह जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मंडुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-18.07.2024 को माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त अभिलाष गुप्ता उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 2000/- रु0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।